ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का
अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन
कर व उन्हें भली-भांति समझने
के पश्चात आयोग की वेबसाईट
पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का
प्रिंट निकालकर आवश्यक
जानकारियों की प्रविष्टि कर
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।





प्रावधिक-पत्र विज्ञापन की शर्तो के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर — 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) फोन नं. –0771–2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट—www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 468/52/चयन/2022

नवा रायपुर दिनांक /3/06/2022

दस्तावेज सत्यापन बुलावा पत्र अग्निशमन अधिकारी / तकनीकी अधिकारी (गृह विभाग, छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं)

महोदय / महोदया,

अग्निशमन अधिकारी/तकनीकी अधिकारी (गृह विभाग, छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं) के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समय—सारणी के अनुरूप पूर्वान्ह 10.00 बजे किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित एवं अनर्ह पाये जाने पर उक्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

- 2. दस्तावेज सत्यापन के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देंवें।
- 2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन—पत्र (02 प्रति में) (दोनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।
- 2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (दोनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी दो मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.3 अग्निशमन अधिकारी/तकनीकी अधिकारी (गृह विभाग, छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं) के पदों के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 20/2022/परीक्षा/दिनांक 10/05/2022, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 18/05/2022 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता—विज्ञापन की कंडिका (2) (iv) अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय—समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि/अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा एक—एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

- 2.4 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.5 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.6 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की एक-एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.7 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं एक—एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.8 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत् या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक—एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
- 2.9 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक—एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 आपके द्वारा अग्निशमन अधिकारी / तकनीकी अधिकारी (गृह विभाग, छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ—साथ पहचान—पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं एक—एक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता हैं) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 4. दस्तावेज सत्यापन के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
- 5. विशेष टीप :— उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीद्वारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो विज्ञापन की कंडिका (4) एवं (6) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा / सेमेस्टर की परीक्षा) एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक—एक प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2022 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय अग्निशमन अधिकारी / तकनीकी अधिकारी (गृह विभाग, छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं) के लिए किये गये ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक—एक छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.7 नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग नवा रायपुर, अटल नगर

8

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर दस्तावेज सत्यापन समय—सारिणी अग्निशमन अधिकारी तकनीकी अधिकारी—2022

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	पूर्वान्ह 10:00 बजे	
	FOH222001100001	FOH222001100040
	FOH222001100002	FOH222001100041
	FOH222001100003	FOH222001100042
	FOH222001100004	FOH222001100043
,	FOH222001100005	FOH222001100044
	FOH222001100006	FOH222001100045
	FOH222001100007	FOH222001100046
	FOH222001100008	FOH222001100047
	FOH222001100009	FOH222001100048
	FOH222001100010	FOH222001100049
	FOH222001100011	FOH222001100050
	FOH222001100012	FOH222001100051
	FOH222001100013	FOH222001100052
	FOH222001100014	FOH222001100053
	FOH222001100015	FOH222001100054
	FOH222001100016	FOH222001100055
	FOH222001100017	FOH222001100056
	FOH222001100018	FOH222001100057
	FOH222001100019	FOH222001100058
23-06-2022	FOH222001100020	FOH222001100059
	FOH222001100021	FOH222001100060
	FOH222001100022	FOH222001100061
	FOH222001100023	FOH222001100062
	FOH222001100024	FOH222001100063
	FOH222001100025	FOH222001100064
	FOH222001100026	FOH222001100065
	FOH222001100027	FOH222001100066
	FOH222001100028	FOH222001100067
	FOH222001100029	FOH222001100068
	FOH222001100030	FOH222001100069
	FOH222001100031	FOH222001100070
	FOH222001100032	FOH222001100071
	FOH222001100033	FOH222001100072
	FOH222001100034	FOH222001100073
	FOH222001100035	FOH222001100074
	FOH222001100036	FOH222001100075
	FOH222001100037	FOH222001100076
	FOH222001100038	FOH222001100077
	FOH222001100039	

टीप :- आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

रायपुर